

दाखल तारीख: 10 MAY 2016

महाश्वेत अधिकारी
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

परिवाद-पत्र

SCC 2763
98

मा.न्यायदण्डाधिकारी सो.प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि.क्रमांक :- 388 /2016
03. धारा :- 156 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 10.05.2016 को समय करिबन 9.00 बजे
05. घटनास्थल :- TMO 11042 चैम्पई एम में पायदागपूर बंगला स्थान
06. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.अ. 0701775 विशाल भोलसे RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- प्रशान्त श. लक्ष्मी यादव उम्र 23 वर्ष
पता- मन्मथे 6 बंगला, कम्प मोतगाव, जि. नाशिक.
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-

09. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 10.05.2016 को समय 13.00 बजे

10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- वि.श. पावले ASI/SHPF/RPF/थाना/लोनी

11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 10 / 05 /2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति द्वारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से अप्रशंसित रूप से पायदागपूर बंगला में प्रवेश किया

रेल अधिनियम की धारा 156 उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला पितारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :-

मे.दु.को.जा.व्हादे.

Signature

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

संलग्न

:- फरियाद, नोटीस

रजि.क्रमांक 5001

पावले क्र. 0024/192

मह. अधिकारी,

लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

बला गन्हा कबूल आहे

[Signature]

समक्ष

[Signature]

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड

10 MAY 2015

... The contents of Plea read as follows: ...
... as explained ...
... understood ...
... the Commission ...

to pay a fine of Rs. 500/- ...
... 4 days ...

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund

10 MAY 2015

काश्मिरी
निर्वाह, न्याय, कृ. वि. प्र. प्र.
Inspector
P.P.F. Thana, Loni